

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता,सिमडेगा।

दाखिल खारिज वाद संख्या - 11/2010 - 2011

दिनांक 18/07/2022

मो0 मुमताज अली

बनाम

श्रीमति अहिल्या देवी

प्रस्तुत वाद दाखिल खारिज द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। वाद की कार्यवाही आवेदक मो0 मुमताज अली पिता स्व0 अहमद अली ग्राम जलडेगा थाना जलडेगा जिला सिमडेगा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 38R27/2009 - 2010 दिनांक 25.09.11 को अंचल अधिकारी जलडेगा द्वारा अस्वीकृत दाखिल खारिज के विरुद्ध स्वीकृति हेतु अपील दायर किया गया है। दाखिल खारिज वाद संख्या - 11/2010 - 2011 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवतः है:-


मौजा	थाना/थाना न0	खाता नं0	प्लॉट न0	रकबा
जलडेगा	जलडेगा	25	639	0.10 ए0

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए दिनांक 05.03.2011 को दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया था। अंचल अधिकारी जलडेगा से निम्न न्यायालय से न्यायालय की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी जलडेगा के द्वारा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 12.07.2014 से दिनांक 07.10.2022 तक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्षों व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को दाखिल खारिज वाद संख्या 38R27/2009 - 2010 वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय का बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद संख्या 38R27/2009 - 2010 को संचिकास्त किया जा सकता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सिमडेगा।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सिमडेगा।